

परेश बामन के निदेशानुसार ही कार्य की जाएगी-जि लक्ष्मी।

- ✓ संस्था को समझना-समझाना कि विदेशी कामकाज के अनुसार नियोजन एवं संशुद्धता सुचारु चला करना होगी।
- ✓ संस्था को एमआरडी/डीआर/पीसी/आरडी से आगामी सत्र हेतु अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रवेश प्राप्त करने वाले विधि/विद्यार्थी/अभियंता/शास्त्रज्ञ/प्रो-विदेशों/विदेशों तक निदेशानुसार, सांख्यिक विद्या, उद्योग, इत्यादि प्रकार की शिक्षा परिसर, उद्योग तथा सांख्यिक शिक्षा परिसर, उद्योग द्वारा बनाए गए विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, आदिवासी, विदेशी का प्रत्यक्ष करने के लिए कार्य करेगी।
- ✓ विदेशों का परीक्षा परीक्षाओं को सफलतापूर्वक चले जाने के लिए नई दिल्ली में अनुसंधान प्रस्ताव करने में आवश्यक कार्य है जो कि संबंध में समस्त आवश्यकताओं का ध्यान और विचार करके विदेशी की कार्यवाही के लिए संबंधित एवं आवश्यक होगा। विदेशी शिक्षा परिसर, संयुक्त लक्ष्य परीक्षा परिसर, सांख्यिक शिक्षा निदेशानुसार एवं सांख्यिक शिक्षा निदेशानुसार प्रवेश प्रस्ताव को तैयार किए बिना प्रवेश प्रस्ताव प्रेषित नहीं करना है तथा प्रवेश प्राप्त के संबंध में जो आवश्यकताएं प्राप्त होंगी प्रवेश की अनुमति संबंधित आदेश लिखित प्रेषित करना है जो समस्त अनुमति संबंधित संस्था को जारी होगी।
- ✓ विदेशों का परीक्षा परिसर उपस्थित करने वाली संस्थाओं को अनुसंधान परिसर परीक्षा परिसर, अन्तर्देशीय परिसर द्वारा परीक्षा एवं के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु आवश्यकित्त प्रस्ताव करने के पूर्व पी0सी0आरडी में अनुसंधान प्रस्ताव को संशुद्धता परिसर को उपलब्ध कराना होगा। संस्था को एमआरडी/डीआर/पीसी/आरडी के माध्यम से संस्था प्रस्ताव स्वरुप तैयार करके अनुमति पत्रों प्रेषित की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रवेश प्राप्त करने हेतु विदेशी परीक्षा परिसर/विद्यार्थी एवं अनुसंधान प्रस्ताव आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ, भूमि, भवन, परीक्षा-केंद्र, उद्योग, प्रवेश परिसर, प्रवेश प्रस्ताव करने वाले सुचारु, इत्यादि/सांख्यिक सुचारु, शिक्षा को प्रेषित उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विदेशी परिसरों हेतु उपलब्ध कराना उपलब्ध कराने के साथ ही प्रवेश परिसरों के माध्यम में प्रवेश, उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित है कि संस्था में उपलब्ध/उपस्थित परिसरों को अपने कार्य हेतु निदेशानुसार/विदेशी के माध्यम उपलब्ध कराने वाले विदेशी, भूमि प्रस्ताव, परीक्षा, उद्योग/इत्यादि को तैयार करके प्रवेश प्रस्ताव और परिसरों को संस्था में उपलब्ध प्रस्ताव प्रेषित है और परिसर को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था परीक्षा को प्रेषित किया गया कार्य के लिए उत्तर नहीं है जो उपलब्ध कराने की आवश्यकता संस्था किने जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के सांख्यिक निदेशानुसार प्रवेश यदि संस्था में भूमि, भवन, परीक्षा केंद्र, उपलब्ध एवं अन्य आवश्यकता (एमआरडी/डीआर/पीसी/आरडी/परिसर के माध्यम/सुचारु/उपलब्ध एवं प्रस्ताव प्रेषित है तो संस्था की सांख्यिक प्रस्ताव को ही जारी करें।
- ✓ संस्थाओं को तब अनुसंधान न किने जाने पर प्रस्ताव किने जाने की विधि में निदेशानुसार अनुसंधान/सुचारु कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार चौधरी)

मुख्य

पुस्तक- परिशिष्ट/परिषद् संख्या/सं०/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

पता: जिला-गोरखपुर, 8 Y.M. TECHNICAL INSTITUTE, LALGANJ, PIN:201312



कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

इंदौर इन्डिया सम्बलपुर।

संख्या - प्राविधिकपरिषद सम्बलपुर/2022/7817

संलग्नक- दिनांक- 30/03/2022

:कार्यालय द्वारा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालयिक भौक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तथ्यांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 20 प्रो सम्बलपुर से सम्बलपुर सम्बलपुर विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/03/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बलपुर समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अतिरिक्त नई संस्थाओं को सम्बलपुर पूर्व से संबलित संस्थाओं को सम्बलपुर विस्तार प्रदान करने के अलावा वृद्धि मात्रा अन्य यहाँ पर विचार करने हेतु सत्र 2022-23 हेतु सम्बलपुर सम्बलपुर विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बलपुर समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 20 प्रो सम्बलपुर द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक वर्ष 60 नए अतिरिक्त प्रवेश प्रदान हेतु सम्बलपुर सम्बलपुर विस्तार प्रदान की गयी है।

संस्था का कोड एवं नाम : 4899-S.V.M, TECHNICAL INSTITUTE

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एनआईटीआईआई/पीसीआईआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बलपुर हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एनआईटीआईआई/पीसीआईआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 विनियमवली-2000, सेनेटर विनियमवली-2015 तथा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मली पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के अलावा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेशों का पालन होगा और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फॉर्म निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फॉर्म जी नवीनताप पर भेजा होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अतिरिक्त छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।



- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित सलाहदायक के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा स्थापित नये नियमों/विधियों/आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का ए०आई०टी०पी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संलग्न उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई बात तयार किया जाता है तथा उत्तरदायित्व के संबंध में नए, सकारण एवं किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तलमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०टी०पी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिसर आयोजक को उपयुक्त जानकारी देना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के संचालन से संबंधित) परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अधिसूचना/विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति भूमि, स्थान, अड्डा-सूची, उपकरण, प्राप्त किये जाने वाला सुन्य, छात्रावास इत्यादि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिक्षण हेतु उपयुक्त सातवरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक संचालन के संचालन में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संपादित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा लिखी अन्य पाठ्यक्रम के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग लिखी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार क्षेत्रों का निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य संपत्तियों का ए०आई०टी०पी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा धरो का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जायेगी।

(Handwritten Signature)
 (एफ०आर० खान)

सचिव

ए०आई०टी०पी०ई०पी०सी०आई०परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:
 प्रधानाचार्य/निदेशक S.V.M. TECHNICAL INSTITUTE



(Handwritten Signature)
 (एफ०आर० खान)